

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च 2026 — फाल्गुन 26, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/3998/2025-HOUSING. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 76ख की उप-धारा (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची—एक(क), दो(क), तीन(क) एवं चार(क) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जायें, अर्थात् :-

“अनुसूची—एक (क)
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रीक्स लेवल	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अध्यक्ष	1	प्रथम श्रेणी	—	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	—तदैव—		सेवा संवर्ग के अनुसार नियुक्त अधिकारी
3	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	—तदैव—		सेवा संवर्ग के अनुसार नियुक्त अधिकारी
4	प्रमुख अभियंता	1	—तदैव—	लेवल-17	-
5	मुख्य अभियंता	2	—तदैव—	लेवल-16	-
6	मुख्य वित्त अधिकारी / महाप्रबंधक	1	—तदैव—	लेवल-15	-

	(वित्त एवं लेखा)				
7	महाप्रबंधक (प्रशासन)	1	—तदैव—	लेवल—15	-
8	मुख्य नगर योजनाकार / महाप्रबंधक (नियोजन)	1	—तदैव—	लेवल—15	-
9	महाप्रबंधक (भूमि)	1	—तदैव—	लेवल—15	-
10	वरिष्ठ नगर योजनाकार / वास्तुकार	1	—तदैव—	लेवल—14	-
11	अधीक्षण अभियंता (सिविल / लो.स्वा.या.)	4	—तदैव—	लेवल—14	-
12	अधीक्षण अभियंता, (विद्युत / यांत्रिकी)	1	—तदैव—	लेवल—14	-
13	उप महाप्रबंधक (विधिक)	1	—तदैव—	लेवल—13	-
14	उप महाप्रबंधक (योजना / नगर नियोजन)	2	—तदैव—	लेवल—13	-
15	उप महाप्रबंधक (पर्यावरण)	1	—तदैव—	लेवल—13	-
16	कार्यपालन अभियंता (सिविल / लो.स्वा.यां.)	8	—तदैव—	लेवल—13	-
17	कार्यपालन अभियंता, (विद्युत / यांत्रिकी)	2	—तदैव—	लेवल—13	-
18	प्रबंधक (वित्त / लेखा)	3	द्वितीय श्रेणी	लेवल—12	-
19	प्रबंधक (प्रशासन)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
20	प्रबंधक (भू-प्रबंधक)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
21	प्रबंधक (संपदा)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
22	सहायक संचालक (भवन निर्माण अधिकारी)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
23	प्रबंधक (परिवहन / यातायात)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
24	प्रबंधक (जी.आई.एस.)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
25	प्रबंधक (वन)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
26	प्रबंधक (जनसंपर्क)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
27	प्रबंधक (पुनर्वास)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
28	सहायक अभियंता (सिविल / लो.स्वा.यां.)	17	—तदैव—	लेवल—12	-
29	सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी)	4	—तदैव—	लेवल—12	-
30	सहायक अभियंता (आई.टी. / कम्प्यूटर साईंस)	1	—तदैव—	लेवल—12	-
31	प्रोग्रामर	1	—तदैव—	लेवल—12	-
32	सहायक योजनाकार / वास्तुकार	3	—तदैव—	लेवल—12	-
33	वरिष्ठ निज सहायक	2	तृतीय श्रेणी	लेवल—10	-
34	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	4	—तदैव—	लेवल—9	-
35	सहायक प्रबंधक (वन)	1	—तदैव—	लेवल—9	-
36	सहायक प्रबंधक (भूमि)	2	—तदैव—	लेवल—9	-
37	सहायक प्रबंधक (पुर्नवास)	1	—तदैव—	लेवल—9	-
38	सहायक प्रबंधक (स्वच्छता)	1	—तदैव—	लेवल—9	-
39	सहायक प्रबंधक (उद्यानिकी)	1	—तदैव—	लेवल—9	-
40	निज सहायक	4	—तदैव—	लेवल—9	-

41	सहायक प्रोग्रामर	3	—तदैव—	लेवल-9	-
42	कार्यालय अधीक्षक	1	—तदैव—	लेवल-9	-
43	मानचित्रकार	4	—तदैव—	लेवल-8	-
44	सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख)	1	—तदैव—	लेवल-8	-
45	उप-अभियंता (सिविल / लो. स्वा.यां.)	32	—तदैव—	लेवल-8	-
46	उप-अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी)	6	—तदैव—	लेवल-8	-
47	उप-अभियंता (आई.टी. / कम्प्यूटर साईंस)	1	—तदैव—	लेवल-8	-
48	वरिष्ठ निरीक्षक (स्वच्छता)	1	—तदैव—	लेवल-8	-
49	शीघ्रलेखक (हिन्दी / अंग्रेजी)	17	—तदैव—	लेवल-7	-
50	राजस्व निरीक्षक	7	—तदैव—	लेवल-7	-
51	सहायक वर्ग-एक	2	—तदैव—	लेवल-7	-
52	निरीक्षक (स्वच्छता)	2	—तदैव—	लेवल-7	-
53	लेखापाल	4	—तदैव—	लेवल-6	-
54	सहायक वर्ग-दो	13	—तदैव—	लेवल-6	-
55	सहायक मानचित्रकार	8	—तदैव—	लेवल-6	-
56	पटवारी	12	—तदैव—	लेवल-6	-
57	वन रक्षक	4	—तदैव—	लेवल-5	-
58	सहायक वर्ग-तीन	35	—तदैव—	लेवल-4	-
59	अनुरेखक	1	—तदैव—	लेवल-4	-
60	वाहन चालक	4	—तदैव—	लेवल-4	-
61	चैनमेन	14	चतुर्थ श्रेणी	लेवल-1	-
62	भृत्य / चौकीदार	36	—तदैव—	लेवल-1	-

अनुसूची-दो (क)
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	पदों का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अध्यक्ष	1	—	—	—	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	—	—	100%	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	—	—	100%	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग अथवा राज्य सिविल सेवा संवर्ग (प्रवर श्रेणी)
4.	प्रमुख अभियंता	1	—	100%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
5.	मुख्य अभियंता	2	—	100%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
6.	मुख्य वित्त अधिकारी/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	1	—	—	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर।
7.	महाप्रबंधक (प्रशासन)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा/ उप-सचिव से अनिम्न श्रेणी के पद पर कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव वाले अधिकारी से प्रतिनियुक्ति।
8.	मुख्य नगर योजनाकार/ महाप्रबंधक (नियोजन)	1	—	100%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
9.	महाप्रबंधक (भूमि)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा (प्रवर श्रेणी) से प्रतिनियुक्ति।
10.	वरिष्ठ नगर योजनाकार/वास्तुकार	1	—	100%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) नगर नियोजन में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले से

						प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
11.	अधीक्षण अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	4	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
12.	अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	1	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
13.	उप महाप्रबंधक (विधिक)	1	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
14.	उप महाप्रबंधक (योजना/नगर नियोजन)	2	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
15.	उप महाप्रबंधक (पर्यावरण)	1	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
16.	कार्यपालन अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	8	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
17.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	2	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
18.	प्रबंधक (वित्त/लेखा)	3	—	67%	33%	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
19.	प्रबंधक (प्रशासन)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर।
20.	प्रबंधक (भू-प्रबंधक)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर।
21.	प्रबंधक (संपदा)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति/10 वर्ष का अनुभव रखने वाले इस्टेट अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या संविदा पर।
22.	सहायक संचालक (भवन निर्माण)	1	—	—	100%	नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के सहायक

	अधिकारी)					संचालक के पद से अनिम्न पद श्रेणी से प्रतिनियुक्ति अथवा समान योग्यता एवं पद से सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति।
23.	प्रबंधक (परिवहन/यातायात)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा/परिवहन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
24.	प्रबंधक (जी.आई.एस.)	1	100%	—	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
25.	प्रबंधक (वन)	1	—	—	100%	राज्य वन सेवा/उद्यानिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
26.	प्रबंधक (जनसंपर्क)	1	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
27.	प्रबंधक (पुनर्वास)	1	—	—	100%	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
28.	सहायक अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	17	25%	75%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
29.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	4	25%	75%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
30.	सहायक अभियंता (आई.टी./कम्प्यूटर साईंस)	1	—	100%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
31.	प्रोग्रामर	1	—	100%	—	(1) फीडर कैडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।

32.	सहायक योजनाकार/वास्तुकार	3	25%	75%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
33.	वरिष्ठ निज सहायक	2	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
34.	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	4	50%	50%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
35.	सहायक प्रबंधक (वन)	1	—	—	100%	वन विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति।
36.	सहायक प्रबंधक (भूमि)	2	—	—	100%	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
37.	सहायक प्रबंधक (पुर्नवास)	1	—	—	100%	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
38.	सहायक प्रबंधक (स्वच्छता)	1	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
39.	सहायक प्रबंधक (उद्यानिकी)	1	—	—	100%	उद्यानिकी/वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
40.	निज सहायक	4	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
41.	सहायक प्रोग्रामर	3	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
42.	कार्यालय अधीक्षक	1	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
43.	मानचित्रकार	4	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
44.	सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख)	1	—	—	100%	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
45.	उप-अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	32	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति।
46.	उप-अभियंता	6	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को

	(विद्युत / यांत्रिकी)					प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
47.	उप-अभियंता (आई.टी. / कम्प्यूटर साईंस)	1	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
48.	वरिष्ठ निरीक्षक (स्वच्छता)	1	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
49.	शीघ्रलेखक (हिन्दी / अंग्रेजी)	17	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
50.	राजस्व निरीक्षक	7	—	—	100%	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
51.	सहायक वर्ग—एक	2	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
52.	निरीक्षक (स्वच्छता)	2	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
53.	लेखापाल	4	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
54.	सहायक वर्ग—दो	13	—	100%	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
55.	सहायक मानचित्रकार	8	87%	13%	—	अनुरेखक के पद पर पदस्थ कर्मचारी की पदोन्नति होने पर 100% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जायेंगे।
56.	पटवारी	12	—	—	100%	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
57.	वन रक्षक	4	—	—	100%	उद्यानिकी / वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति।
58.	सहायक वर्ग—तीन	35	100%	—	—	(1) फीडर कैंडर से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। (2) पद रिक्त रहने की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति / संविदा नियुक्ति।
59.	अनुरेखक	1	100%	—	—	पदस्थ कर्मचारी की पदोन्नति के उपरांत, पद डाइंग कैंडर होगा।

60.	वाहन चालक	4	100%	—	—	
61.	चैनमेन	14	100%	—	—	
62.	भृत्य/चौकीदार	36	100%	—	—	

अनुसूची-तीन (क)
(नियम 7 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष।	
2.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष।	
3.	सहायक योजनाकार/वास्तुकार	21 वर्ष	30 वर्ष	सहायक योजनाकार — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक तथा नगरीय योजना/अर्बन-डिजाइन/लैंडस्केप योजना/क्षेत्रीय योजना में स्नातकोत्तर उपाधि। या सहायक वास्तुकार — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि सहित न्यूनतम 2 वर्ष का मान्यता प्राप्त संस्थान से कार्यानुभव।	
4.	प्रबंधक (जी.आई.एस.)	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) रिमोट सेंसिंग/जी.आई.एस./जियो-इंफोमेटिक्स में स्नातक उपाधि। (2) शहरी/क्षेत्रीय नियोजन के साथ किसी भी विषय में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर उपाधि।	
5.	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक या समकक्ष। (2) कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटराईज्ड लेखांकन में एक वर्ष का डिप्लोमा।	
6.	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी (यांत्रिकी) में प्रथम श्रेणी या कम से कम 60% अंक या समकक्ष श्रेणी। अथवा एम.सी.ए/एम.सी.एम/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या भौतिकी/गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साईंस में एम.एससी/एम.ए में प्रथम श्रेणी या कम से कम 60% अंक या समकक्ष श्रेणी। अथवा बी.सी.ए/बी.सी.एम/सूचना प्राद्यौगिकी में स्नातक या भौतिकी/गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/ बी.एससी/कम्प्यूटर साईंस में बी.ए./कम्प्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर उपाधि या कम्प्यूटर	

				एप्लिकेशन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कम से कम 60% अंक या समकक्ष श्रेणी।	
7.	उप-अभियंता (सिविल/लो. स्वा.यां.)	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/उपाधि।	
8.	उप-अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत/यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/उपाधि।	
9.	उप-अभियंता (आईटी/कम्प्यूटर साईंस)	21 वर्ष	30 वर्ष	आईटी/बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस)/बी.सी.ए./बी.एस.सी. में उपाधि।	
10.	शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी)	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:- (क) शीघ्रलेखन (हिन्दी) के लिए - हिन्दी शीघ्रलेखक (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखन (अंग्रेजी) के लिए - अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए - ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली	

				जाएगी)।	
11.	निरीक्षक (स्वच्छता)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि।	
12.	लेखापाल	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक या समकक्ष। (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 1 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा।	
13.	सहायक मानचित्रकार	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानचित्रकारिता अथवा वास्तुकला में उपाधि या डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का अनुभव।	
14.	सहायक वर्ग-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
15.	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारण करता हो एवं 6/6 की दृष्टि होना चाहिए।	
16.	भृत्य/चौकीदार/चैनमेन/वनरक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।	

टीप :-ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिये उच्चतम आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार (क)
(नियम 8 एवं 13 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता	3 वर्ष	राज्य सरकार द्वारा गठित समिति
2.	अधीक्षण अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां. / (विद्युत/यांत्रिकी)	मुख्य अभियंता	5 वर्ष	
3.	कार्यपालन अभियंता (सिविल/लो.स्वा. यां.)	अधीक्षण अभियंता (सिविल/लो. स्वा.यां.)	6 वर्ष	
4.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	6 वर्ष	
5.	वरिष्ठ नगर योजनाकार/वास्तुकार	मुख्य नगर योजनाकार महाप्रबंधक (नियोजन)	6 वर्ष	
6.	उप महाप्रबंधक (योजना/नगर नियोजन)	वरिष्ठ नगर योजनाकार/वास्तुकार	6 वर्ष	
7.	योजनाकार/वास्तुकार	उप महाप्रबंधक (योजना/नगर नियोजन)	6 वर्ष	
8.	मानचित्रकार	सहायक योजनाकार/वास्तुकार	6 वर्ष	
9.	सहायक अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	कार्यपालन अभियंता (सिविल/लो. स्वा.यां.)	6 वर्ष	
10.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	6 वर्ष	
11.	वरिष्ठ निरीक्षक (स्वच्छता)	सहायक प्रबंधक (स्वच्छता)	5 वर्ष	
12.	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	8 वर्ष	
13.	सहायक प्रोग्रामर	प्रोग्रामर	8 वर्ष	
14.	उप अभियंता (आई.टी)	सहायक अभियंता (आई.टी)	8 वर्ष	
15.	उप अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	सहायक अभियंता (सिविल/लो. स्वा. यां.)	8 वर्ष	
16.	उप-अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी)	8 वर्ष	
17.	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष	
18.	लेखापाल	सहायक प्रबंधक (वित्त/लेखा)	5 वर्ष	एनआरडीए द्वारा गठित समिति
19.	शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी)	निज सहायक	5 वर्ष	
20.	निरीक्षक (स्वच्छता)	वरिष्ठ निरीक्षक (स्वच्छता)	5 वर्ष	
21.	सहायक वर्ग-एक	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	
22.	सहायक मानचित्रकार	मानचित्रकार	5 वर्ष	
23.	सहायक वर्ग-दो	सहायक वर्ग-एक	5 वर्ष	
24.	सहायक वर्ग-तीन	सहायक वर्ग-दो	5 वर्ष	
25.	अनुरेखक	सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष	

टीप :- (1) प्राधिकरण की सेवाओं में पदोन्नति हेतु, राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर एक पदोन्नति समिति गठित की जायेगी। पदोन्नति के संबंध में, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू किये जाएंगे।

(2) केवल डिग्री धारक/उपाधि धारक अभियंता ही अधीक्षण अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th February 2026

NOTIFICATION

क्रमांक ESTB/3998/2025-HOUSING. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 76B read with Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For Schedule-I (A), II (A), III (A) and IV (A), the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I (A)

(See rule 5)

S. No.	Name of the posts	Number of posts	Classification	Pay Matrix Level	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chairman	1	Class-I	-	Appointed by the State Government
2.	Chief Executive Officer	1	-do-		According to the Service Cadre of appointed Officer
3.	Additional Chief Executive Officer	1	-do-		According to the Service Cadre of appointed

					Officer
4.	Engineer-in- chief	1	-do-	Level -17	-
5.	Chief Engineer	2	-do-	Level -16	-
6.	Chief Finance Officer/General Manager (Finance and Accounts)	1	-do-	Level -15	-
7.	General Manager (Administration)	1	-do-	Level -15	-
8.	Chief Town Planner/General Manager (Planning)	1	-do-	Level -15	-
9.	General Manager (Land)	1	-do-	Level -15	-
10.	Senior Town Planner/Architect	1	-do-	Level -14	
11.	Superintending Engineer (Civil/P.H.E.)	4	-do-	Level -14	-
12.	Superintending Engineer (Electrical/Mechanical)	1	-do-	Level -14	-
13.	Deputy General Manager (Legal)	1	-do-	Level -13	-
14.	Deputy General Manager (Planning/Town Planning)	2	-do-	Level -13	-
15.	Deputy General Manager (Environment)	1	-do-	Level -13	-
16.	Executive Engineer (Civil/P.H.E.)	8	-do-	Level -13	-
17.	Executive Engineer (Electrical/Mechanical)	2	-do-	Level -13	-
18.	Manager (Finance/Accounts)	3	Class-II	Level -12	-
19.	Manager (Administration)	1	-do-	Level -12	-
20.	Manager (Land Manager)	1	-do-	Level -12	-
21.	Manager (Estate)	1	-do-	Level -12	-
22.	Assistant Director (Building Officer)	1	-do-	Level -12	-
23.	Manager (Transport/Traffic)	1	-do-	Level -12	-
24.	Manager (GIS)	1	-do-	Level -12	-
25.	Manager (Forest)	1	-do-	Level -12	-

26.	Manager (Public Relations)	1	-do-	Level -12	-
27.	Manager (Rehabilitation)	1	-do-	Level -12	-
28 .	Assistant Engineer (Civil/P.H.E.)	17	-do-	Level -12	-
29.	Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	4	-do-	Level -12	-
30.	Assistant Engineer (IT/ Computer Science)	1	-do-	Level -12	-
31.	Programmer	1	-do-	Level -12	-
32.	Assistant Planner/Architect	3	-do-	Level -12	-
33.	Senior Personal Assistant	2	Class-III	Level -10	-
34.	Assistant Manager (Finance and Accounts)	4	-do-	Level -9	-
35.	Assistant Manager (Forest)	1	-do-	Level -9	-
36.	Assistant Manager (Land)	2	-do-	Level -9	-
37.	Assistant Manager (Rehabilitation)	1	-do-	Level -9	-
38.	Assistant Manager (Sanitation)	1	-do-	Level -9	-
39.	Assistant Manager (Horticulture)	1	-do-	Level -9	-
40.	Personal Assistant	4	-do-	Level -9	-
41.	Assistant Programmer	3	-do-	Level -9	-
42.	Office Superintendent	1	-do-	Level -9	-
43.	Draughtsman	4	-do-	Level -8	-
44.	Assistant Superintendent (Land Records)	1	-do-	Level -8	-
45.	Sub-Engineer (Civil/P.H. E.)	32	-do-	Level -8	-
46.	Sub-Engineer (Electrical/Mechanical)	6	-do-	Level -8	-
47.	Sub-Engineer (IT/Computer Science)	1	-do-	Level -8	-
48.	Senior Inspector (Sanitation)	1	-do-	Level -8	-
49.	Stenographer (Hindi/English)	17	-do-	Level -7	-
50.	Revenue Inspector	7	-do-	Level -7	-
51.	Assistant Grade-I	2	-do-	Level -7	-

52.	Inspector (Sanitation)	2	-do-	Level -7	-
53.	Accountant	4	-do-	Level -6	-
54.	Assistant Grade-II	13	-do-	Level -6	-
55.	Assistant Draughtsman	8	-do-	Level -6	-
56.	Patwari	12	-do-	Level -6	-
57.	Forest Guard	4	-do-	Level -5	-
58.	Assistant Grade-III	35	-do-	Level -4	-
59.	Tracer	1	-do-	Level -4	-
60.	Driver	4	-do-	Level -4	-
61.	Chainman	14	Class-IV	Level -1	-
62.	Peon/Chowkidar	36	-do-	Level -1	-

SCHEDULE-II (A)

(See rule 6)

S. No.	Name of the Posts	Total number of duty posts	Percentage of posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment	By promotion of substantive members of the service	By transfer /deputation of persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Chairman	1	-	-	-	Appointed by the State Government
2.	Chief Executive Officer	1	-	-	100%	All India Services Cadre
3.	Additional Chief Executive Officer	1	-	-	100%	All India Services Cadre or State Civil Services Cadre (Class-I)
4.	Engineer-in-chief	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
5.	Chief engineer	2	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
6.	Chief Finance Officer/General Manager (Finance and Accounts)	1	-	-	100%	On deputation from State Finance Services
7.	General Manager (Administration)	1	-	-	100%	Deputation from State Administrative Services/Officer having minimum 5 years

						experience in holding a post not below the rank of Deputy Secretary.
8.	Chief Town Planner/General Manager (Planning)	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
9.	General Manager (Land)	1	-	-	100%	Deputation from State Administrative Services (Senior Category).
10.	Senior Town Planner/Architect	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2)Deputation/ Contract appointment from those having 10 years experience in town planning.
11.	Superintending Engineer (Civil/P.H.E.)	4	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
12.	Superintending Engineer (Electrical/Mechanical)	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
13.	Deputy General	1	-	-	100%	<u>Deputation/ Contract</u>

	Manager (Legal)					<u>Appointment.</u>
14.	Deputy General Manager (Planning/Town Planning)	2	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
15.	Deputy General Manager (Environment)	1	-	-	100%	<u>Deputation/Contract Appointment.</u>
16.	Executive Engineer (Civil/ P.H.E.)	8	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
17.	Executive Engineer, (Electrical/Mechanical)	2	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
18.	<u>Manager</u> <u>(Finance/Accounts)</u>	<u>3</u>	<u>=</u>	<u>67%</u>	<u>33%</u>	<u>(1) Priority shall be given to person from feeder cadre.</u> <u>(2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.</u>
19.	Manager (Administration)	1	-	-	100%	On Deputation from State Administrative Service.
20.	Manager (Land Manager)	1	-	-	100%	On Deputation from State Administrative Services

21.	Manager (Estate)	1	-	-	100%	Deputation from State Administrative Services /Contract or Deputation of Estate Officer having experience of 10 years.
22.	Assistant Director (Building Officer)	1	-	-	100%	Deputation from a post category not lower than the post of Assistant Director of the Directorate of Town and Country Planning or Contract appointment of Officer retired with similar qualification and post.
23.	Manager (Transport/Traffic)	1	-	-	100%	On Deputation appointment from State Administrative Services/ Transport Department.
24.	Manager (GIS)	1	100%	-	-	<u>(1) Priority shall be given to person from feeder cadre.</u> <u>(2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.</u>
25.	Manager (Forest)	1	-	-	100%	On Deputation Appointment from State Forest Service/ Horticulture Department
26.	Manager (Public Relations)	1	-	-	100%	On Deputation Appointment.

27.	Manager (Rehabilitation)	1	-	-	100%	On Deputation appointment from State Administrative Services.
28.	Assistant Engineer (Civil/P.H.E.)	17	25%	75%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
29.	Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical)	4	25%	75%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
30.	Assistant Engineer (IT/ Computer Science)	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
31.	Programmer	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
32.	Assistant Planner/Architect	3	25%	75%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.

33.	Senior Personal Assistant	2	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
34.	Assistant Manager (Finance and Accounts)	4	50%	50%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
35.	Assistant Manager (Forest)	1	-	-	100%	On Deputation or Contract appointment from Forest Department
36.	Assistant Manager (Land)	2	-	-	100%	On Deputation appointment from Revenue and Disaster Management Department.
37.	Assistant Manager (Rehabilitation)	1	-	-	100%	On Deputation appointment from Revenue and Disaster Management Department.
38.	Assistant Manager (Sanitation)	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
39.	Assistant Manager (Horticulture)	1	-	-	100%	On Deputation appointment from Horticulture/ Forest Department

40.	Personal Assistant	4	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
41.	Assistant Programmer	3	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
42.	Office Superintendent	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
43.	Draughtsman	4	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
44.	Assistant Superintendent (Land Records)	1	-	-	100%	On Deputation Appointment from Revenue and Disaster Management Department.
45.	Sub-Engineer (Civil/P.H.E.)	32	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy

						of post.
46.	Sub-Engineer (Electrical /Mechanical)	6	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
47.	Sub-Engineer (IT/Computer Science)	1	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
48.	Senior Inspector (Sanitation)	1	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
49.	Stenographer (Hindi/English)	17	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
50.	Revenue Inspector	7	-	-	100%	On Deputation appointment from Revenue and Disaster Management Department.
51.	Assistant Grade-I	2	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in

						case of vacancy of post.
52.	Inspector (Sanitation)	2	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
53.	Accountant	4	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
54.	Assistant Grade-II	13	-	100%	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
55.	Assistant Draughtsman	8	87%	13%	-	<u>Upon promotion of an employee posted on the post of Tracer, 100% of the posts shall be filled through direct recruitment.</u>
56.	Patwari	12	-	-	100%	On Deputation appointment from Revenue and Disaster Management Department.
57.	Forest Guard	4	-	-	100%	On Deputation appointment from Horticulture/ Forest Department

58.	Assistant Grade-III	35	100%	-	-	(1) Priority shall be given to person from feeder cadre. (2) Deputation /Contract appointment in case of vacancy of post.
59.	Tracer	1	100%	-	-	<u>After promotion of the incumbent employee, the post shall be in dying cadre.</u>
60.	Driver	4	<u>100%</u>	-	-	
61.	Chainman	14	<u>100%</u>	-	-	
62.	Peon/Chowkidar	36	<u>100%</u>	-	-	

SCHEDULE-III (A)

(See rule 7)

S No.	Name of the Posts	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational qualification	comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Engineer (Civil/ P.H.E.)	21 years	30 years	Degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent.	
2.	Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	21 years	30 years	Degree in Electrical/ Mechanical Engineering from a recognized University /Institute or equivalent.	
3.	Assistant Planner/Architect	21 years	30 years	Assistant Planner:- Graduate in Architecture and Post Graduate Degree in Urban Planning/Urban Design/Landscape Planning/Regional Planning from a recognized University OR Assistant Architect: - Graduate Degree in Architecture from any recognized University with minimum 2 years of work experience from a recognised institute.	
4.	Manager (GIS)	21 years	30 years	(1) Bachelor's degree in Remote Sensing/ GIS / Geo-informatics. (2)Diploma/Post Graduate degree in any discipline with Urban / Regional Planning.	
5.	Assistant Manager (Finance and Accounts)	21 years	30 years	(1) Bachelor of Commerce from a recognized University / Institute or equivalent (2) One year Diploma in Computers and Computerized Accounting.	
6.	Assistant Programmer	21 years	30 years	B.E/B.Tech./B.Sc (Engineering) in first division or at least 60% marks or equivalent grade.	

				Or Post Graduate in M.C.A/ M.C.M./ Information Technology or Physics/ Mathematics/Statistics/ Operation Research/ Economics/ M.Sc. in Computer Science/M.A. in first division or at least 60% marks or equivalent grade. Or Graduate in B.C.A/ B.C.M./ Information Technology or Post Graduate Degree in Physics/ Mathematics /Statistics/ Operation Research/ Economics /B.Sc./B.A. Computer Science /Computer Science or Post Graduate Diploma in first division in Computer Application or at least 60% marks or equivalent grade.	
7.	Sub-Engineer (Civil/ P.H.E. Engineering)	21 years	30 years	Diploma/Degree in Civil Engineering from a recognized Institution.	
8.	Sub-Engineer (Electrical/Mechanical)	21 years	30 years	Diploma/ Degree in Electrical/ Mechanical Engineering from a recognized Institution.	
9.	Sub-Engineer (IT/Computer Science)	21 years	30 years	Degree in IT /B.E./B. Tech. (Computer Science) /B.C.A./B.Sc.	
10.	Stenographer (Hindi/English)	21 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing	

				council:- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minutes speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (c) For bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minutes speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depressions per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
11.	Inspector (Sanitation)	21 years	30 years	Bachelor's degree in Science from any recognized University and Diploma in Sanitary Inspector Course from any recognized Institution.	
12.	Accountant	21 years	30 years	(1) Graduate in Commerce or equivalent from any recognized University/Institute	

				(2) One year Computer Diploma from any recognized University/Institute.	
13.	Assistant Draughtsman	21 years	30 years	Degree or Diploma in Cartography or Architecture from any recognized Institute with 1 year experience in any recognized Institute.	
14.	Assistant Grade-III	18 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) Certificate of Hindi or English typing 5,000 (Key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/ Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).	
15.	Driver	18 years	30 years	Passed 8th standard from any institution recognized by the State Government and must have a valid driving license and must have eye sight of 6/6.	
16.	Peon/watchmen/chainmen / Forest Guard	18 years	30 years	Passed 8th standard from any institution recognized by the State Government.	

Note: - The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV (A)

(See rule 8 and 13)

S. No.	Name of the service or post from which promotion is to be made	Name of the service or post to which promotion is to be made	Minimum period of experience to be eligible for promotion	Names of the members of the Departmental Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chief engineer	Engineer-in-chief	3 years	Committee constituted by the State Government
2.	Superintending Engineer (Civil/P.H.E./ Electrical/Mechanical)	Chief engineer	5 year	
3.	Executive Engineer (Civil/P.H.E.)	Superintending Engineer (Civil/P.H.E.)	6 years	
4.	Executive Engineer (Electrical/ Mechanical)	Superintending Engineer (Electrical/Mechanical)	6 years	
5.	Senior Town Planner/Architect	Chief Town Planner General Manager (Planning)	6 years	
6.	Deputy General Manager (Planning/Town Planning)	Senior Town Planner/Architect	6 years	
7.	Planner/Architect	Deputy General Manager (Planning/Town Planning)	6 years	
9.	Draughtsman	Assistant Planner/Architect	6 years	
10.	Assistant Engineer (Civil/P.H.E.)	Executive Engineer (Civil/P.H.E.)	6 years	
11.	Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	Executive Engineer (Electrical/Mechanical)	6 years	
12.	Senior Inspector (Sanitation)	Assistant Manager (Sanitation)	5 year	
13.	Assistant Manager (Finance and Accounts)	Manager (Finance and Accounts)	8 years	
14.	Assistant programmer	Programmer	8 years	
15.	Sub Engineer (IT)	Assistant Engineer (IT)	8 years	
16.	Sub Engineer (Civil/	Assistant Engineer (Civil/P.H.E.)	8 years	

	P.H.E.)			
17.	Sub-Engineer (Electrical/Mechanical)	Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	8 years	
18.	Personal Assistant	Senior Personal Assistant	5 years	Committee constituted by NRDA
19.	Accountant	Assistant Manager (Finance/ Accounts)	5 years	
20.	Stenographer (Hindi/English)	Personal Assistant	5 years	
21.	Inspector (Sanitation)	Senior Inspector (Sanitation)	5 years	
22.	Assistant Grade-I	Office Superintendent	5 years	
23.	Assistant Draughtsman	Draughtsman	5 years	
24.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	
25.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	
26.	Tracer	Assistant Draughtsman	5 years	

Note:- (1) The State Government/Authority shall constitute a Promotion Committee from time to time for promotions in the services of the Authority. Instructions issued from time to time by the State Government regarding promotions shall be applicable.

(2) Only degree holder/title holder engineers shall be eligible for promotion from the post of Executive Engineer to Superintending Engineer."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.